अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

247/2022/225 प्रभात शर्मा V/s भगवान सिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/247 श्री N.S. Rajawat श्री	

श्रीमती प्रभात शर्मा बनाम भगवान सिंह वगैरह (247/2022)

8/9/22

पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 29.08.2022 को स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। राजस्व बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है एवं समयाभाव के कारण स्थगन प्रार्थना–पत्र में आदेश नहीं लिखाया गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र स्थगन दिनांक 15.09.2022 को पेश हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

15/9/22

पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम खोरी, तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 594 मिन रकबा 06–03–00 बीघा कृषि भूमि चौसाला जमाबंदी संवत 2013 से 2016 की खेवट संख्या 28 के खाता संख्या 108 में किए गए इन्द्राज के अनुसारा पृथ्वी सिंह पुत्र श्री रावत सिंह व श्री जेठू सिंह क संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की रही है, जिनमे से सहखातेदार श्री जेठू सिंह के स्वर्गवास पश्चात उनके हक व हिस्से की भूमि श्रीमती सोहन कंवर पत्नी श्री जेठू सिंह के नाम दर्ज की गई, परंतु उनका भी स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रथग श्रेणी के वारिस श्री पृथ्वी सिंह होने से उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि श्री पृथ्वी सिंह पुत्र रावत सिंह, जाति राजपूत के खातेदारी में दर्ज रही है।चौसाला खसरा नम्बर 594 मिन रकबा 06–03–00 बीघा जिसके कि पूर्व में सम्पन्न भू–संशोधन की कार्यवाही पश्चात कायम किए गए मिलान क्षेत्रफल एवं वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या 50 नया 49 पुराना में किए गए इंद्राज के अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 655 रकबा 06–03–00 बीघा कायम किए गए है, तथा वर्तमान में संपन्न भू–संशोधन की कार्यवाही पश्चात कायम किए गए है मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2074 के खाता संख्या नया 225 पुराना 218 में किए गये इंद्राज के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 773/1028 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.2500 हैक्टेयर 778 रकबा 0.2000 हैक्टेयर 779 रकबा 0.2300 हैक्टेयर एवं 780 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कायम किए गए है। अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी श्री पृथ्वी सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित खातेदारी भूमि में से 1–11–00 बीघा भूमि जरिए पंजीकृत दानपत्र दिनांक 3.1.1976 द्वारा श्री ओमप्रकाश पुत्र री भोलूदास, जाति साधु निवासी ग्राम खोरी तहसील व जिला अजमेर को प्रदान की जाकर खातेदारी हक अधिकार स्वामित्व व आधिपत्य प्रदान कर दिये गए जिस दान–पत्र का पंजीयन दिनांक उप पंजीयक अजमेर की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 683 क्रम संख्या 97 पृष्ठ संख्या 189 से 191 पर दिनांक 19.1.1976 को पंजीबद्ध व चस्पा किया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी श्री पृथ्वी सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित भूमि में से 1–11–00 भूमि जरिये पंजीकृत दानपत्र दिनांक 5.1.1976 द्वारा श्री गीगाराम पुत्र जग्गाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम खोरी, तहसील पुष्कर जिला अजमेर के हक में प्रदान की जाकर खातेदारी हक–अधिकार,

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

तारीख	2022/247 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	
पेशी	श्री N.S. राजावत श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

लगातार

स्वामित्व व आधिपत्य प्रदान कर दिए गए, जिस दानपत्र का पंजीयन उप पंजीयक, अजमेर के समक्ष पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 691 क्रम संख्या 99 पृष्ठ संख्या 247 से 250 पर दिनांक 5.1.1976 पर पंजीबद्ध दानपत्र विलेख दिनांक 3.1.1976 द्वारा प्राप्त अपने खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि रकबा 1–11–00 बीघा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6. 12.2001 द्वारा श्री मांगू सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर के हक में विक्रय किया जाकर खातेदारी हक–अधिकार व आधिपत्य प्रदान कर दिया गया, जिसके आधार पर श्री मांगू सिंह द्वारा अपने क्रयशुदा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2001 द्वारा अपीलांट संख्या 1 एवं स्व. श्री गोविन्द गोपाल ऐरी शर्मा के हक में विक्रय किया जाकर खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य प्रदान कर दिए गए जिसमें से श्री गोविन्द गोपाल ऐरी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 10.12.2014 को हो जाने के पश्चात उनके क्रयशुदा 1/2 हिस्से के विधिक वारिसान भी अपीलांट है इसी प्रकार पंजीकृत दानपत्र दिनांक 5.1.1976 द्वारा श्री गीगाराम को प्राप्त 1–11–00 बीघा भूमि को उनके स्वर्गवास के पश्चात विधिक वारिसान श्रीमती ग्यारसी देवी व श्री मेवाराम द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.3. 2002 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 एवं स्व श्री गोविंद गोपाल ऐरी शर्माके हक में विक्रय किया जाकर खातेदारी हक–अधिकार एवं आधिपत्य प्रदान कर दिए गए जिसमें से श्री गोविन्द गोपाल ऐरी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 10.12.2014 को हो जाने के पश्चात उनके क्रयशुदा 1/2 हिस्से के विधिक वारिसान भी अपीलांट है। इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर अपीला।ट को उनके क्रयशुदा हक–अधिकार एवं आधिपत्य का खातेदार घोकिया किया जाकर तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती कर अपीलांट के नाम अंकन कियेजाने तथा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित फरमायी जावें। साथ ही समान कथनों के आधार पर एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दिनांक 10.08.2022 द्वारा निरस्त किये के आदेश दिये है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अपील में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की क्रयशुदा कब्जे–काश्त की भूमि है जिसके बावत् अविधिक रूप से स्वीकृत विरासत नामान्तकरण के आधार पर दर्ज खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी संख्या 01 से 09 प्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि को अविधिक रूप से अन्तरण कर प्रार्थीगण को बेदखल किये जाने पर आमादा है और यदि वह अपने अविधिक कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद एवं अपील प्रस्तुत किये जाने का आशय ही समाप्त होकर प्रकरणों की बहुल्यता में लिप्त होना होगा, जिसमें होने वाली आर्थिक व मानसिक क्षति का मुद्रा में आंकन किया जाना अंसभव है। प्रकरण में वर्णित अभिवचनों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं कानून, न्याय व समानता प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान करते है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध हैकि प्रार्थना–पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ग्राम खोरी तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नम्बर 773/1028, 777, 778, 779, 780 में से 0.50 है0 भूमि को किसी प्रकार से रहन, बय व मुन्तकिल नहीं किये जाने तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति

– लगातार

राजस्व अपील अधिकारी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/247 प्रभात शर्मा V/s भगवानसिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

2022/247

लगातार

बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01से 09 को पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में यह आदेश पारित किये गये थे कि –पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं एक पक्षीय बहस के आधार पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का मामला नही बनता है। प्रकरण दर्ज रजिसटर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 07.9.2022 को पेश हों। प्रार्थी/अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि प्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि है जिसके बाबत् अविधिक रूप से स्वीकृत नामान्तकरण के आधार पर दर्ज खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी संख्या 01से 09, प्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि को अविधिक रूप से अन्तरण कर प्रार्थीगण को बेदखल किये जाने पर आमादा है। अपीलांटस के द्वारा क्रयशुदा आराजीयात को सरंक्षित किया जाना न्यायहित में उचित है। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है जैसा कि 2016 आर.बी.जे. पेज 360, 2016 आर.बी.जे. पेज 468, 2019 आर.बी.जे. पेज 129 आदि पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। चूंकि यह अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण (प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम) का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को करना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 40/2022 बउनवान श्रीमती प्रभात शर्मा बनाम भगवान सिंह वगैरह में अंकित ग्राम खोरी तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नम्बर 773/1028, 777, 778, 779, 780 में से 0.50 है0 भूमि को किसी प्रकार से रहन, बय व मुन्तकिल नहीं किये जाने तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01से 09 को पाबंद जाता है। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 10.10.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।